न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 101/2023

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. सांवलाराम पुत्र भारताराम
2. पुराराम पुत्र भारताराम
3. बाबूलाल पुत्र भारताराम
4. मांगाराम पुत्र भारताराम जाति मेघवाल निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. चम्पादेवी पत्नि जेठाराम
2. उकीदेवी पत्नि जेठाराम
3. देवाराम पुत्र टीकमाराम
4. मानाराम पुत्र रणछोडाराम
5. अर्जुनराम पुत्र दौलाराम
6. धूडाराम पुत्र तोगाराम
7. पार्वति पत्नि दौलाराम
8. मोहनराम पुत्र तोगाराम
9. लूम्भाराम पुत्र तोगाराम
10. जेताराम पुत्र रामचन्द्रराम
11. ढपी पुत्री गुणेशाराम
12. मांगीदेवी पुत्री गुणेशाराम जाति कलबी निवासीयान धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
13. पेमाराम पुत्र सवाराम जाति राईका निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
14. जबराराम पुत्र मिसराराम
15. डूगराराम पुत्र अचलाराम
16. दरिया[illegible] अचलाराम
17. [illegible]
18. [illegible] अचलाराम
19. पेमाराम पु[illegible]चलाराम
20. पारसराम पुत्र मिसराराम
21. बाबूलाल पुत्र मिसराराम
22. भोमाराम पुत्र मिसराराम जातियान सुथार निवासीयान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:43 IST
Reason: SelfAttested

धनवा तहसील सिणधरी जिला
बाड़मेर
23. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक —07.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 207 व 427 रकबा 0.7524, 7.2082 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 207 व 427 रकबा 0.7524, 7.2082 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:43 IST
Reason: SelfAttested

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन [illegible] दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील [illegible] के खेत खसरा संख्या 207 व 427 रकबा 0.7524, 7.2082 हैक्टेयर [illegible] आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है [illegible]तों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा धनवा पटवार

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 207 व 427 रकबा 0.7524, 7.2082 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 207 व 427 रकबा 0.7524, 7.2082 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 207 व 427 रकबा 0.7524, 7.2082 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी